न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 05/2018 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा –प्रार्थी

बनाम

1. श्री जयपाल कहार पुत्र नन्दा कहार निवासी उदयभान गेट, मालिक श्री बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड भोजनालय कलिंजरी गेट शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. श्री कालू कहार पुत्र देवी कहार कर्मचारी श्री बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड भोजनालय कलिंजरी गेट शाहपुरा जिला भीलवाडा

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुनिल कुमार पारीक अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.07.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि कलिंजरी गेट स्थित श्री बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड भोजनालय कलिंजरी गेट जहाजपुर रोड शाहपुरा का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर श्री कालू कहार पुत्र देवी कहार निवासी उम्मेद सागर चौराहा शाहपुरा मिले। जिन्होनें स्वयं को उक्त भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट का कर्मचारी होना बताया। निरीक्षण के दौरान मौके पर 02(दो) 14.02 किग्रा वाले बी.पी.सी.एल. कम्पनी के गैस सिलेण्डर व 01 (एक) चुल्हा मय रेगुलेटर व रबर पाईप मिले। मौके पर आरोपी द्वारा उल्लेखित सिलेण्डरों के कागजात पेश नही किये गये। निरीक्षण के दौरान भोजनालय कर्मचारी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर कमांक 006185 को रेगुलेटर एवं रबर पाईप के माध्यम से गैस चुल्हे पर रोटी बनाकर उसका उपभोक्ताओं को विकय किया जाना पाया गया। दूसरा घरेलु सिलेण्डर कमांक 930097 का भी अवैध भण्डारण पाया गया। जिससे स्पष्ट हो गया कि आरोपी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं अवैधानिक रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जाकर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः वजह सबूत भोजनालय कर्मचारी श्री कालू कहार के कब्जे से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.0 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा चूल्हा, 01 रेगूलेटर, रबर पाईप जब्त सरकार किया जाकर श्री पवन कुमार कुलदीप पुत्र कन्हैयालाल कुलदीप कर्मचारी शाहपुरा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स शाहपुरा को सुपुदर्गी में दिये गये।

चूंकि आरोपी द्वारा एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः निवेदन हैं कि जब्तसुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.0 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा चूल्हा, 01 रेगुलेटर, रबर पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावें। चूंकि द्रवित पेट्रोलियम गैस ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने से गैस चुल्हा के खराब होने की संभावना हैं। अतः प्रकरण में अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.05.2018 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी द्वारा कोई जवाब एवं खण्डन पेश नहीं किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि श्री बालाजी रेस्टोरेन्ट एण्ड भोजनालय कलिंजरी गेट जहाजपुर रोड शाहपुरा का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर श्री कालू कहार पुत्र देवी कहार निवासी उम्मेद सागर चौराहा शाहपुरा मिले। जिन्होनें स्वयं को उक्त भोजनालय एवं रेस्टोरेन्ट का कर्मचारी होना बताया। निरीक्षण के दौरान मौके पर 02(दो) 14.02 किग्रा वाले बी.पी.सी.एल. कम्पनी के गैस सिलेण्डर व 01 (एक) चुल्हा मय रेगुलेटर व रबर पाईप मिले। मौके पर आरोपी द्वारा उल्लेखित सिलेण्डरों के कागजात पेश नही किये गये। निरीक्षण के दौरान भोजनालय कर्मचारी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 006185 को रेगुलेटर एवं रबर पाईप के माध्यम से गैस चुल्हे पर रोटी बनाकर उसका उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाना पाया गया। दूसरा घरेलु सिलेण्डर क्रमांक 930097 का भी अवैध भण्डारण पाया गया। जिससे स्पष्ट हो गया कि आरोपी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं अवैधानिक रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जाकर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः वजह सबूत भोजनालय कर्मचारी श्री कालू कहार के कब्जे से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.0 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा चूल्हा, 01 रेगूलेटर, रबर पाईप जब्त सरकार किया जाकर श्री पवन कुमार कुलदीप पुत्र कन्हैयालाल कुलदीप कर्मचारी शाहपुरा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स शाहपुरा को सुपुदर्गी में दिये गये। चूंकि आरोपी द्वारा एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः निवेदन हैं कि जब्तसुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.0 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा चूल्हा, 01 रेगूलेटर, रबर पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावें। चूंकि द्रवित पेट्रोलियम गैस ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ एवं प्रकरण के निस्तारण में समय लगने से गैस चुल्हा के खराब होने की संभावना हैं। प्रकरण में अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) पर हस्ताक्षर किये एवं गैस का व्यावसायिक उपयोग का जुर्म

स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक कार्य हेतु घरेलू गैस का उपयोग किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तसुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.0 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा चूल्हा, 01 रेगूलेटर, रबर पाईप को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तसुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.0 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा चूल्हा, 01 रेगूलेटर, रबर पाईप को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तसुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.0 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 छोटा चूल्हा, 01 रेगूलेटर, रबर पाईप का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

30.7.18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा